संख्या-71/2016/1003/26-3-2016-10(28)/1999

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 की आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-"2225 व 2235" पर संचालित अधिष्ठान/योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3084-85/स0क0/लेखा-बजट/2016-17 दिनांक 21.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-" एवं "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्चो को वहन करने के लिए कुल प्राविधानित धनराशि **रू0-14,23,92,32,000/(रू0-चैदह अरब तेईस करोड़ बान्नवे लाख बत्तीस हजार मात्र)** के सापेक्ष **रू0-13,21,07,77,000/-(रू0-तेरह अरब इक्कीस करोड़ सात लाख सतहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2016-17 में सम्पूर्ण वर्ष के लिए है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि। भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या- 71/2016/1003(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं अन्य समस्त संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7-निदेशक, एन0 आई0 सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8-सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

adesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

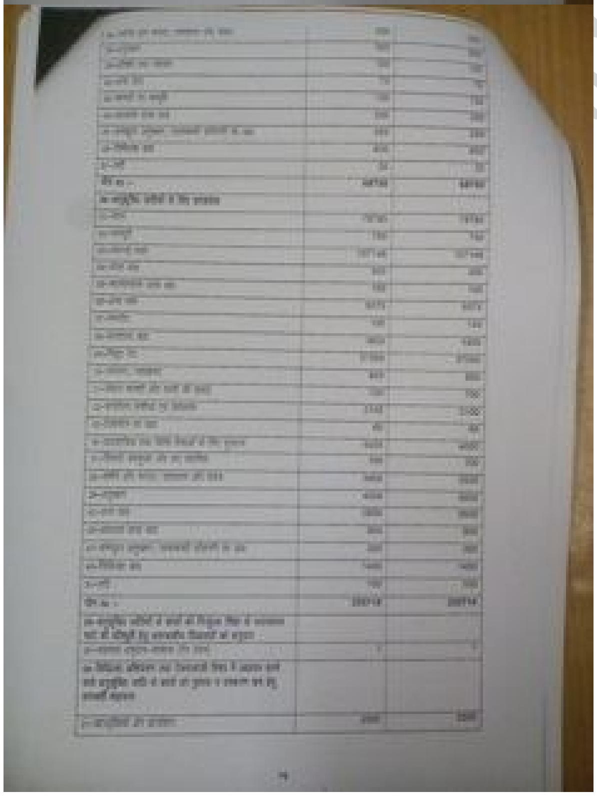

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

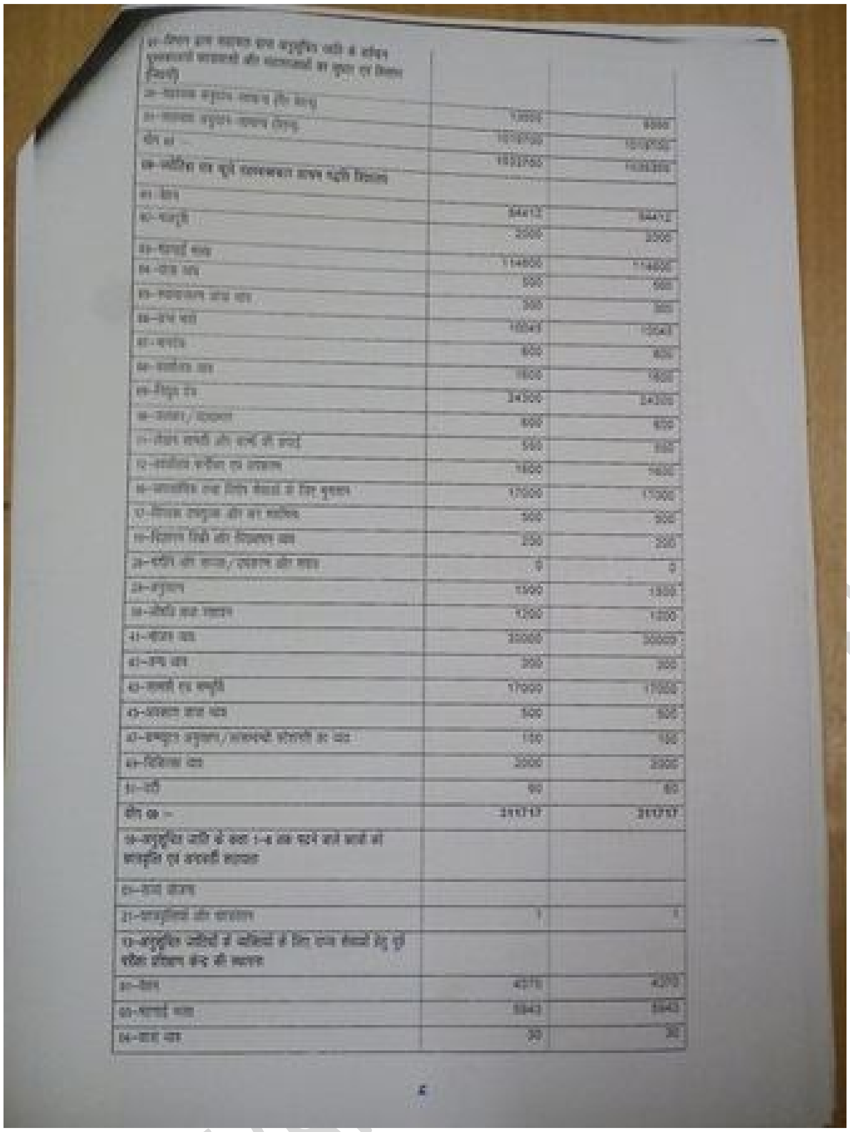

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	13000	[illegible]
योग [illegible]	1019700	1019700
[illegible]	1032700	[illegible]
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	94412	94412
	2000	2000
[illegible]	114600	114600
[illegible]	500	500
[illegible]	300	300
[illegible]	10043	10043
[illegible]	800	800
[illegible]	1600	1600
[illegible]	24300	24300
[illegible]	600	600
[illegible]	500	500
[illegible]	1600	1600
[illegible]	17000	17000
[illegible]	500	500
[illegible]	250	200
[illegible]	0	0
[illegible]	1300	1300
[illegible]	1200	1200
[illegible]	30000	30000
[illegible]	200	200
[illegible]	17000	17000
[illegible]	500	500
[illegible]	150	150
[illegible]	2000	2000
[illegible]	60	60
योग [illegible] –	311717	311717
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	1	1
[illegible]		
[illegible]	4270	4270
[illegible]	5843	5843
[illegible]	30	30

६

http://s p.nic.in

[illegible]	50	[illegible]
[illegible]	500	500
[illegible]	1500	1500
[illegible]	200	200
[illegible]	900	900
[illegible]	200	200
[illegible]	350	300
[illegible]	500	500
[illegible]	50	50
[illegible]	8	8
[illegible]	160	160
[illegible]	800	475
[illegible]	100	100
[illegible]	100	100
[illegible]	3500	3000
[illegible]	50	50
[illegible]	400	400
[illegible]	20	20
[illegible]	160	100
[illegible]	120	120
[illegible]	20	20
योग-[illegible] =	20183	14708
[illegible]		
[illegible]	1	1
[illegible]		
[illegible]	6613000	6613000
[illegible]		
[illegible]	10000	10000
योग-[illegible] =	8314571	8307896
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	270121	270121
[illegible]	367366	367366
[illegible]	3000	3000
[illegible]	500	500
[illegible]	32144	32144
[illegible]	85	18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

08-कार्यालय व्यय	660	660
09-विद्युत देय	300	300
10-जलकर/जलप्रभार	30	30
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	120	120
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150	150
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0	0
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4000	4000
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	100
42-अन्य व्यय	200	200
43-अवकाश यात्रा व्यय	500	500
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	120	120
49-चिकित्सा व्यय	4500	4500
51-वर्दी	72	72
योग-03 –	663697	663697
योग-793 –	663697	663697
800-अन्य व्यय		
03-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की [illegible] के [illegible] सुविधा की [illegible] हेतु अतिरिक्त सहायता(विशेष)		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	0
योग 800–	0	0
योग-03 –	9697745	9660779
80-सामान्य		
101-[illegible]		
03-[illegible]		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	15000	7500
योग-101	15000	7500
102-शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान		
03-[illegible]		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	280	140
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1200	1200
योग-03 –	1480	1340
योग 102	1480	1340
800-अन्य व्यय		
03-[illegible] कार्यक्रम		
0301-राजकीय [illegible] योजना ([illegible])		
01-वेतन	36517	36517
02-मजदूरी	200	200
03-महंगाई भत्ता	49663	49663
04-यात्रा व्यय	200	200
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40	40
06-अन्य भत्ते	4345	4345

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

desh.up.nic.in

desh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।